

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

**Notification No. 19/2025-State Tax (Rate)**

**Dated: 11/02/2026**

No. F.3 ( 42 )/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 139 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do ,on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendments in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 in the notification No.09/2025-State Tax (Rate), dated the 22<sup>th</sup> September, 2025, published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3(21)/Fin/(Exp-I)/2025-26/DS-I/924, dated the 22<sup>th</sup> September, 2025, namely :-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule II – 9%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"4A.	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;"
------	------------------------	---------

- (b) in the Schedule III – 20%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and

	intended for inhalation without combustion;"
--	--

(c) the schedule VII – 14%, and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with 1<sup>st</sup> day of February, 2026.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

  
(Mangej Singh)  
Dy. Secretary (Fin.)

The principal notification No. 09/2025-State tax (rate), dated the 22<sup>nd</sup> September, 2025 was published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub-section(i), vide number F.3(21)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/924, dated the 22<sup>nd</sup> September, 2025.

No. F.3 ( 42 )/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 139

Dated: 11/02/2026

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

  
(Mangej Singh)  
Dy. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (व्यय-I) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट : नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 19 /2025-राज्य कर (दर)

दिनांक : 11/02/2026

फा0सं0 3(42)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-1/ 139 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 22 सितंबर, 2025 की अधिसूचना फा0सं0 3(21)/वित्त/(व्यय-I)/2025-26/डीएस-1/924 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 22 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 09/2025-राज्य कर (दर) के द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II- 9% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-


"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;"
------	------------------------	------------

(ख) अनुसूची III - 20% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];
16.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;
17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अतिरिक्त)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त उत्पाद और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त उत्पाद और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;"

(ग) अनुसूची VII-14% और उससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2026 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,  
के आदेश से तथा उनके नाम पर  
  
(मंगेज सिंह)  
उप-सचिव (वित्त)


टीप: मूल अधिसूचना संख्या 09/2025-राज्य कर (दर), दिनांक 22 सितंबर, 2025 को दिनांक 22 सितंबर, 2025 की अधिसूचना फा0सं0 3(21)/वित्त/(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/924 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

फा0सं0 3( 42 )/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/ 139

दिनांक : 11/02/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. नि. स., नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव (सा. प्रशा. वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित।
7. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फ़ाइल।

  
(मंगेज सिंह)  
उप-सचिव (वित्त)